संख्या 909 / 01–10–2012–33(355) / 11

प्रेषक,

अशोक कुमार,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊः दिनांक 12 अप्रैल, 2012

विषयः वित्तीय वर्ष 2012–13 में दैवी आपदा कार्यो हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 में दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने हेतु अग्रिम रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन कुल धनराशि रू0 18,75,00,000/– (रू0 अठ्ठारह करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) निम्न विवरण के अनुसार आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

क्रमांक	जनपद	आवंटित धनराशि (रूपये)
1	आगरा	25,00,000/-
2	अलीगढ़	25,00,000/-
3	इलाहाबाद	25,00,000/-
4	अम्बेडकरनगर	25,00,000/-
5	औरैया	25,00,000/-
6	आजमगढ़	25,00,000/-
7	बदायूँ	25,00,000/-
8	बागपत	25,00,000/-
9	बहराइच	25,00,000/-
10	बलिया	25,00,000/-
11	बलरामपुर	25,00,000/-
12	बांदा	25,00,000/-

13	बाराबंकी	25,00,000/-
14	बरेली	25,00,000/-
15	बस्ती	25,00,000/-
16	भीमनगर	25,00,000/-
17	बिजनौर	25,00,000/-
18	बुलन्दशहर	25,00,000/-
19	चन्दौली	25,00,000/-
20	छत्रपति शाहूजीमहाराज नगर	25,00,000/-
21	चित्रकूट	25,00,000/-
22	देवरिया	25,00,000/-
23	एटा	25,00,000/-
24	इटावा	25,00,000/-
25	फैजाबाद	25,00,000/-
26	फर्रूखाबाद	25,00,000/-
27	फतेहपुर	25,00,000/-
28	फिरोजाबाद	25,00,000/-
29	गौतमबुद्धनगर	25,00,000/-
30	गाजियाबाद	25,00,000/-
31	गाजीपुर	25,00,000/-
32	गोण्डा	25,00,000/-
33	गोरखपुर	25,00,000/-
34	हमीरपुर	25,00,000/-
35	हरदोई	25,00,000/-

36	महामायानगर	25,00,000/-
37	जालौन	25,00,000/-
38	जौनपुर	25,00,000/-
39	झांसी	25,00,000/-
40	ज्योतिबाफूले नगर	25,00,000/-
41	कन्नौज	25,00,000/-
42	कानपुर नगर	25,00,000/-
43	कांशीराम नगर	25,00,000/-
44	कौशाम्बी	25,00,000/-
45	कुशीनगर	25,00,000/-
46	लखीमपुर खीरी	25,00,000/-
47	ललितपुर	25,00,000/-
48	लखनऊ	25,00,000/-
49	महराजगंज	25,00,000/-
50	महोबा	25,00,000/--
51	मैनपुरी	25,00,000/-
52	मथुरा	25,00,000/-
53	मऊ	25,00,000/-
54	मेरठ	25,00,000/-
55	मिर्जापुर	25,00,000/-
56	मुरादाबाद	25,00,000/-
57	मुजफ्फरनगर	25,00,000/-
58	पंचशील नगर	25,00,000/-
59	पीलीभीत	25,00,000/-

60	प्रबुद्धनगर	25,00,000/-
61	प्रतापगढ़	25,00,000/-
62	रायबरेली	25,00,000/-
63	रमाबाई नगर	25,00,000/-
64	रामपुर	25,00,000/-
65	सहारनपुर	25,00,000/-
66	संतकबीर नगर	25,00,000/-
67	संतरविदास नगर	25,00,000/-
68	शॉहजहॉपुर	25,00,000/-
69	श्रावस्ती	25,00,000/-
70	सिद्धार्थ नगर	25,00,000/-
71	सीतापुर	25,00,000/-
72	सोनभद्र	25,00,000/-
73	सुल्तानपुर	25,00,000/-
74	उन्नाव	25,00,000/-
75	वाराणसी	25,00,000/-
	योग	**18,75,00,000/-**

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्यय के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक '2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड –800– अन्य व्यय–03– स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय–42–अन्य व्यय' के नामे डाला जायेगा।

3. इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाये। अग्रेतर यह सुनिश्चित किया जाये कि आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय केवल दैवी आपदाओं–अग्निकाण्ड, भूस्खलन, बादल फटने, हिमस्खलन, चक्रवात, सूखा, भूकम्प, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट आक्रमण तथा सुनामी से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने के निमित्त व्यय किया जाये। सामान्य दुर्घटनाओं–सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, दंगा–फसाद, विद्युत आदि के कारण हुयी घटनाओं के लिए इस धनराशि का उपयोग नही किया जायेंगा।

4. आपदा राहत निधि की उक्त धनराशि दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता वितरण करने के उद्देश्य से शा0ा0सं0–78/पी0एस0आर0/2012, दिनांक 24.01.2012 जिसके साथ भारत सरकार का पत्र संख्या– 32–7/2011–NDM-1, दिनांक 16.01.2012 की छायाप्रति संलग्न की गयी है, में जहॉ राहत प्रदान करे के लिये मानक निर्धारित है, उन मदों में आवश्यकता अनुसार तत्काल व्यय की जायेगी।

5. उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार की गाइड लाइन में निर्धारित एवं अर्ह मानकों मदो के अनुसार ही किया जायेगा। यदि एक व्यक्ति को कई मदों में राहत अनुमन्य है, तो सबको मिलाकर एक ही चेक के माध्यम से सहायता प्रदान की जाये। शासनादेश संख्या – 4464/1–10–2008–14(45)–2003, दिनांक 24 सितम्बर, 2008 में उल्लिखत दिशा–निर्देशो का अनुपालन सुनिशिचत करते हुये दैवी आपदा की सभी मदों में दिये जाने वाले रू0 2000/– तक की धनराशि का वितरण वियरर चेक के माध्यम से तथा रू0 2000/–से अधिक की धनराशि का वितरण एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से ही किया जायें।

6. राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

7. उक्त स्वीकृत धनराशि केवल वित्तीय वर्ष 2012–13 में दैवी आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुॅचाने के निमित्त व्यय की जायेगी। इससे पूर्व वर्षो के दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जायेगा।

8. राहत की धनराशि की प्राप्ति एवं व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में रसीद पर स्थानीय लेखपाल एवं ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर प्राप्त कर इसे अभिलेख में रखा जाये। वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रर्दशित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाये।

9. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति श्री करली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तद्नुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

10. आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिलास्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या 1693/1–11–2005–रा0–11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट http//rahat.up.nic.in पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचतें सम्भावित हो तो उन्हें दिनांक 31 मार्च, 2013 से पूर्व शासन को सर्मपित कर दिया जाये।

11. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या–42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

12 व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त

संख्या 909 (1)1–10–2012–33(355)/11 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार–प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद
2–संबधित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3–आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
4–वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट http//rahat.up.nic.in पर अपलोड किये जाने हेतु।
5–वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
6–संबधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7–वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग–5।
8–समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग–10/ राजस्व अनुभाग–6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
9–निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त उ0प्र0 शासन।
10–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नैकपाल वर्मा)
उपसचिव